जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में अस्थायी वाहन स्टैण्ड के संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित करने की सूचना (अवधि 01 जून 2016 से 31 मार्च 2017 तक)

जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में वित्तीय वर्ष **2016–17** के लिए अस्थायी वाहन स्टैण्ड हेतु खुली निविदायें आमंत्रित की जाती है । इच्छुक व्यक्ति/संस्था मु0 5,000/– रुपये की अग्रिम जमा धनराशि नकद या बैंक ड्राफ्ट (जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी के नाम से) के साथ अपने आवेदन समय **03:00 बजे**, दिनांक : **20.05.2016** तक नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में जमा कर सकते है । खुली नीलामी दिनांक : **20.05.2016** को सायंकाल : **03:30** बजे से इच्छुक व्यक्तियों/संस्था के प्रतिनिधि की मौजूदगी में सभागार, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में की जायेगी ।

नियम एवं शर्तें

1. अस्थायी वाहन स्टैण्ड की नीलामी 31 मार्च 2017 तक के लिए करायी जायेगी। निविदायें एक बार जमा करने के उपरान्त वापस नहीं की जायेगीं ।

2. इच्छुक व्यक्ति/संस्था मु0 5,000/– रुपये की अग्रिम जमा धनराशि नकद या बैंक ड्राफ्ट (जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी के नाम से) के साथ अपने आवेदन जमा कर सकते है । उक्त वर्णित अग्रिम जमा धनराशि के बगैर जमा आवेदन पत्र स्वीकार्य नही होगें । आवेदन पत्र दिनांक : **20.05.2016** को या उसके पहले किसी भी कार्यदिवस में मु0 50/– रुपये का शुल्क जमा करके प्राप्त किए जा सकते है ।

3. आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी के नाम से संबोधित होगें तथा दिनांक : **20.05.2016** को या उसके पहले किसी भी कार्यदिवस पर सायंकाल : 03:00 तक जमा किये जा सकते है ।

4. खुली नीलामी दिनांक : **20.05.2016** को सायंकाल : 03:30 बजे से इच्छुक व्यक्तियों/संस्था के प्रतिनिधि की मौजूदगी में सभागार, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में की जायेगी । जो व्यक्ति/संस्था का प्रतिनिधि खुली बोली के समय उपस्थित नहीं होगा उस व्यक्ति/संस्था द्वारा जमा अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

5. निविदा में असफल व्यक्तियों की अग्रिम जमा धनराशि नीलामी के उपरान्त शीघ्र वापस कर दी जायेगी । नीलामी स्वीकृत होते ही सफल व्यक्ति/संस्था को नीलामी की कुल धनराशि का 50% धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि का भुगतान तीन कार्यदिवसों के भीतर नकद या बैक ड्राफ्ट (जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी के नाम से) जमा करना होगा । नीलामी में सफल व्यक्ति/संस्था द्वारा जमा अग्रिम धनराशि का समायोजन विज्ञापन खर्च की कटौती के उपरान्त नीलामी की पूर्ण धनराशि में कर लिया जायेगा ।

6. इस वित्तीय वर्ष 2016–17 में अस्थायी वाहन स्टैण्ड की नीलामी की न्यूनतम बोली **50,000/–** (पचास हजार मात्र) रुपये होगी ।

7. इस वित्तीय वर्ष 2016–17 में वाहन स्टैण्ड में वाहनों का किराया नियत कर दिया गया है जो निम्नवत है . . .

1. साइकिल – रु0 **03.00/–** मात्र ।

2. स्कूटर/मोटर साइकिल – रु0 **05.00/–** मात्र ।

3. कार/जीप या अन्य बडें वाहन – रु0 **10.00/–** मात्र ।

4. अधिवक्तागण तथा कर्मचारियों का मासिक शुल्क, दो पहिया वाहन – रु0 **100/–** प्रति माह

5. अधिवक्तागण तथा कर्मचारियों का मासिक शुल्क, चार पहिया वाहन – रु0 **200/–** प्रति माह

8. नीलामी में सफल व्यक्ति को अस्थायी वाहन स्टैण्ड हेतु जमीन उपलब्ध करा दी जायेगी तथा वाहन स्टैण्ड को चलाने हेतु वह स्वयं उसे विकसित करेगा ।

9. आवेदन पत्र के साथ इच्छुक व्यक्ति को अपना स्वहस्ताक्षरित निवास तथा पहचान प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा ।

10. जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी को बिना कारण बताऐ किसी एक या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा ।

11. प्राप्त आवेदन पत्रों (जैसा कि नियम व शर्तो के पैरा–4 में लिखित है) की खुली नीलामी दिनांक : **20.05.2016** को सायंकाल : 03:30 से बजे इच्छुक व्यक्तियों की मौजूदगी में सभागार, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में की जायेगी ।

12. उक्त निविदा में किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी का निर्णय अंतिम/सर्वमान्य होगा ।

दिनांक : 02.05.2016

भवदीय

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
प्रभारी अधिकारी (नजारत)/
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी ।

<u>**नीलामी समिति के सदस्यगण**</u> :–

1. **श्री रमेश चन्द–II**
सदस्य, नीलामी समिति/
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी ।

2. **श्री राम चन्द्र यादव**
सदस्य, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–05,
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी ।